

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
नगर आयुक्त पटना का कार्यालय,
पटना नगर निगम, मौर्यालोक कम्पलेक्स,
डाकबंगला, पटना-800001

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

दिवंगता सरस्वती देवी द्वारा अपने मकान राजीव सदन, 67/E, रोड नं० 11/F, राजेन्द्र नगर, पटना - 800016 का सम्पत्ति कर/होलिडिंग टैक्स का भुगतान पटना नगर निगम को उनके करिन्डे द्वारा नगद या On Line जमा कराया जाता था।

अनुरोध है कि सूचना के अधिकार के तहत मुझे यह सूचित किया जाय कि दिवंगता सरस्वती देवी के सम्पत्ति कर/होलिडिंग कर का मूल्यांकन उस नियमावली के तहत ही कराया गया है, जो पटना नगर निगम के पत्रांक 2489/स्था० दिनांक 18.05.2017 द्वारा मुझे उपलब्ध कराया गया है।

सुलभ सुविधा हेतु उक्त नियमावली जो पटना नगर निगम ने अपने पत्रांक 2489 दिनांक 18.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, वह नीचे उद्धृत है :-

सम्पत्ति कर निर्धारण एवं वसूली निमयावली के तहत किराया अथवा आवासीय दोनों भवनों का वार्षिक किराया मूल्यांकन का 9% दर से कर भुगतान ली जाती है तथा किराये की भवनों से 1.5 गुणा कर अधिरोपित होता है, जबकि आवासीय भवन में गुण 100% होता है।

अनुरोध है कि इस नियमावली के आधार पर उक्त संपत्ति का कर भुगतान किया गया है या नहीं, स्पष्ट किया जाए। यह भी बताएँ कि इस नियमावली के तहत कितना संपत्ति कर/होलिडिंग कर निर्धारित होगा?

इस कार्य हेतु सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत नियमानुसार रू० 10.00 (दस रुपये) का भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(एल०पी० सिन्हा)

प्रतिलिपि- नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, मौर्यालोक कम्पलेक्स, डाकबंगला, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक:-यथोक्त।
I.P.O.No - 42F-708162
Rs. 10 = 00